दिनांकः- 15.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साईबर हैल्प डैस्क द्वारा साईबर अपराध के माध्यम से ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के खाते में वापस कराये गये 5000/- रूपये

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2023 को आवेदक श्री हैदर खान पुत्र श्री फैजान खान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर द्वारा खुद के साथ साईबर ठगी करके खाते से 5000/- रुपये यू0पी0आई0 के माध्यम से फ्राड हो जाने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी साईबर टीम से सम्पर्क किया गया था। साईबर टीम द्वारा आवेदक उपरोक्त की आनलाईन शिकायत **33110230151971/23** पंजीकृत करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साईबर ठगी का शिकार हुए पीडितों की रकम वापसी के लिये अभियान चलाया जा रहा है। निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार नागर के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी साईबर टीम के अथक प्रयास से आवेदक उपरोक्त के खाते से कटे हुए 5000/- रूपये वापस कराये गये। आवेदक द्वारा पुलिस का धन्यवाद व्यक्त किया गया।

बरामद करने वाली टीम-

(1) उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना गागलहेडी
(2) कम्प्यूटर आपरेटर अमित मोहन सिह थाना गागलहेडी
(3) का0 247 राहुल उपाध्याय थाना गागलहेडी
(4) म0का0 1169 चंचल शर्मा थाना गागलहेडी

दिनांक- 15.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम चालाकपुर मे हुई हत्या का आठवां वाछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2023 को वादी मुनव्वर पुत्र स्व0 मुशर्रफ निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर ने बाबत अपनी बहन कु0 महकारा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना चिलाकना पर मु0अ0सं0- 164/2023 धारा- 452,302 भादवि पंजीकृत करवाया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त के 07 अभियुक्तगण को पूर्व मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम मे आज दिनांक 15.11.2023 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **तालिब पुत्र मनव्वर निवासी मो0 हमिदा कालोनी जगाधरी थाना सिटी यमुना नगर हरियाणा** सम्बन्धित मु0अ0सं0- 164/2023 धारा- 452,302,120बी,34,भादवि व 25/27 ए एक्ट व 3/25 ए एक्ट व 4/25 ए एक्ट को दुमझेडा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त तालिब उपरोक्त ने बताया कि मेरी व शोएब व हसीन उर्फ पप्पू से दोस्ती थी। मै ओर हसीन बैग सिलने का काम करते हैं। एक दिन शोएब ने मुझे ओर हसीन उर्फ पप्पू को गागलहेडी बुलाया वहा पर रहमान, अलसमद, हुसैन, नोशाद के साथ हमारी मुलाकात तोकीर से करायी थी। तोकीर पुत्र जुल्फान निवासी गदनपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर जो बिलास पुर मे जामा मस्जिद मे इमाम है ओर शोएब का दोस्त है ओर उसने बताया कि ग्राम चालाकपुर मे तोकीर की साली महकारा का कत्ल करना है जहां पर हम सबने महकारा की हत्या की योजना बनायी जिसके एवज मे तोकीर ने हमे 5 लाख रूपये देने की बात कही थी। एक लाख रूपये नगद शोएब को दिये थे ओर करीब 1.5 लाख रूपये तोकीर ने मोबाईल से हमारे मोबाईल मे ट्रासफर किये थे। 2.5 लाख रूपये काम हो जाने के बाद देने की बात कही थी। दिनाकं 22.10.2023 हम महकारा को मारने गये थे लेकिन कामयाब नही हो सके ओर वापस आये गये थे फिर दिनाकं 25.10.2023 को रात्रि मे हम करीब 2 बजे चालाकपुर गये ओर हमने महकारा की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

तालिब पुत्र मनव्वर निवासी मो0 हमिदा कालोनी जगाधरी थाना सिटी यमुना नगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना चिलकाना सहारनपुर
2. वरिष्ठ उप निरी0 रविन्द्र सिह थाना चिलकाना सहारनपुर
3. है0का0 479 अमित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
4. का0 2261 राजेन्द्र कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

दिनांक- 15.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान एवं 03 चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि वादी श्री मिथुन कुमार पुत्र मदन सिह निवासी मौहल्ला महाजनान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर दिनांक 14.11.2023 को मु.अ.सं. – 155/2023 धारा 457/380 भा.द.वि. बनाम अज्ञात चोर बावत अज्ञात चोर द्वारा दिनाक 13/14 .11.2023 की रात्रि मे वादी के कमरे का ताला तोडकर एक गैस सिलेन्डर, इन्वेटर बैटरा, स्टील की टंकी , गैस चूल्हा भट्टी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम एंव अभियुक्तगण की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में थाना तीतरो पुलिस की टीम द्वारा अभियुक्तगण मुकदमा उपरोक्त की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्तगण- **1. प्रिंस उर्फ मोती पुत्र विनोद नि. मौ. अफगानान कलां, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर 2. राजा उर्फ रजत पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि. मौ. अफगानान कलां, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर 3. समीर पुत्र सहजाद नि. निकटलाल मस्जिद , कस्बा व थाना – थानाभवन, जिला – शामली** को मय तीन अदद नाजायज चाकू व थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. – 155/2023 धारा 457/380 भा.द.वि. से सम्बन्धित चुराये गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु.अ.सं. 157/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि. पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. प्रिंस उर्फ मोती पुत्र विनोद नि. मौ. अफगानान कलां, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
2. राजा उर्फ रजत पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि. मौ. अफगानान कलां, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
3. समीर पुत्र सहजाद नि. निकटलाल मस्जिद , कस्बा व थाना – थानाभवन, जिला – शामली

बरामदगी का विवरणः-

- तीन नाजायज चाकू
- 01 गैस सिलेंडर इण्डेन,
- 01 गैस चूल्हा भट्टी,
- 01 स्टील की टंकी मय ढक्कन,
- 01 पेटी प्लास्टिक कोकाकोला
- 01 बैट्रा ल्यूमिनस कम्पनी

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त प्रिंस उर्फ मोतीः-

1. मु0अ0स0 164/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 34/2022 धारा 457,380,411 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 47/2023 धारा 379,411 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 48/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट व 414 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 155/2023 धारा 457/380 भा.द.वि.
6. मु.अ.सं. 157/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि.

अभियुक्त राजा उर्फ रजतः-

1. मु0अ0स0 -164/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. मु.अ.सं. 34/2022 धारा 457,380,411 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 35/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना तीतरो जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 89/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना तीतरो जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 33/2022 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना तीतरो जिला सहारनपुर
6. मु0अ0स0 155/2023 धारा 457/380 भा.द.वि. थाना तीतरो जिला सहारनपुर
7. मु.अ.सं. 157/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि.

अभियुक्त समीरः-

1. मु0अ0स0 155/2023 धारा 457/380 भा.द.वि. थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. मु.अ.सं. 157/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
3. है.का. 833 विवेक कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
4. का. 2341 नितिन पंवार थाना तीतरों जनपद सहरानपुर

दिनांक 15.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा ताला तोड़कर घर में चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान व 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2023 को वादी श्री इकबाल S/O हनीफ निवासी मौ0 अफगानान कलां, नई बस्ती, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद सहारनपुर द्वारा रात्रि में वादी के घर का ताला तोड़कर घर का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/2023 धारा 457/380 भादवि बनाम रिजवान के विरूद्ध पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त रिजवान उर्फ जानू पुत्र शमशाद कुरेशी नि0 मौ0 नई बस्ती , कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू** तथा मु0अ0सं0 156/2023 उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गये माल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रिजवान उर्फ जानू उपरोक्त के विरूद्ध एक नाजायज चाकू बरामदगी के आधार पर थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 158/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया | अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान उर्फ जानू पुत्र शमशाद कुरेशी नि. मौ. नई बस्ती , कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 नाजायज चाकू

01 गैस सिलेंडर छोटा 05 लीटर

01 गैस चूल्हा सिंगल मय पाइप व रैगुलेटर व बर्तन

अभियुक्त रिजवान उर्फ जानू का आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. – 156/2023 धारा 457/380 भा.द.वि.

2.मु.अ.सं. --158/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

2.उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

3. है.का. 833 विवेक कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

4. का. 2341 नितिन पंवार थाना तीतरों जनपद सहारानपुर